


प्रस्तुप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार
उत्तर शिल्प अविनाश
उत्तर वर्ष जल बढ़ी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UJJAIN), मध्यप्रदेश

दरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:- 27/01/2017

क्रमांक/स्कूल आई.डी. - 21128522/25916

प्रति,

प्रबंधक,

(JOLLY MEMORIAL MISSION SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - JOLLY MEMORIAL MISSION SCHOOL, ORA PARK COLONY, NEAR SETHI NAGAR TEMPO STAND, UJJAIN. को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचंद 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचंद 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक अवधियों व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा। बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपर्याहरा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगा।
- परा 5 अंग अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कॉपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के संबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में पारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को आरीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले पत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशास्त्र विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सम्मानित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अतीं की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहंता प्राप्त करनी होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विजिदिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - पायर्वेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

• स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

| | सुविधाएं | पोर्टल में दर्ज | वास्तविक स्थिति |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 8 | स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं का भवन | स्वयं का भवन |
| 9 | स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 40696 | 40696 |
| 10 | स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 8892 | 11000 |
| 11 | खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 30000 | 25000 |

अधोसंरचना का विवरण

| | Rooms as कक्ष | | पोर्टल में दर्ज | | वास्तविक स्थिति | |
|---|--|---|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) |
| 1 | कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष | 9 | 400 | 12 | 400 | |
| 2 | कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 2 | 300 | 2 | 300 | |
| 3 | भोजनालय-सह-भण्डार | 0 | 0 | 0 | 0 | |

अन्य सुविधाएँ

| | पोर्टल में दर्ज | वास्तविक स्थिति |
|----|-----------------|-----------------|
| 1 | हाँ | हाँ |
| 2 | हाँ | हाँ |
| 3 | हाँ | हाँ |
| 4 | 2697 | 2697 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | Tube Well | Tube Well |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | Indian | Indian |
| 9 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | हाँ | हाँ |

- तेहे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..21128522.. एवं डाइस्कोड (DISE) 23240704302 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्त संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता बापस ले ली जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला UJJAIN

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल-462004
क्रमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समसच्चयक परिपत्र दिनांक 21/05/2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई हैं सन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14/12/2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईनी के आरटीई पार्टिल पर दिनांक 18/12/2020 से 18/01/2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समर्थ सीमा नियत की गई है।

3/ वर्तमान काविड-19 सक्रमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों पर छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शारान एतद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई नोबाईल एप के मध्यन से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विवेत प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपर्युक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वांगी विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की निर्देशानुसार समस्त संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Q.M.U
31.12.20
(क.क.द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA